इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016—चैत्र 11, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 11440-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 31 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १३३-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द ''एक प्रतिशत'' के स्थान पर, शब्द ''दो प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं.

(दो) निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १६१ में, उपधारा (१) के आरंभिक पैरा में,—

(एक) शब्द ''एक प्रतिशत'' के स्थान पर, शब्द ''दो प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं.

(दो) कोलन के स्थान पर पूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में बढ़ते हुए शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि भारत सरकार और राज्य की नगरीय विकास और अधोसंरचना की महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ किया जाए. स्टाम्प शुल्क प्रभार राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मद है. वर्तमान में नगरीय स्थानीय निकाय सम्पति के मूल्य का एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर रहे हैं. राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क प्रभार एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत करने का विनिश्चय किया है. इस आवंटन का उपयोग महत्वपूर्ण नगरीय अधोसंरचना योजनाओं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, अमृत स्मार्ट सिटी, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनाओं आदि को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा.

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३३-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १६१ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २९ मार्च, २०१६.

लाल सिंह आर्य
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.